

बाटा उल्लेख २०१८

$$\begin{array}{r} \overline{62} - 65 \\ \overline{\overline{66}} \\ \overline{96} \end{array}$$

अंचल अधिकारी का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या— 1039/16-17

वाद का प्रकार— बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाच एवं कार्बवाई से संबंधित।

आरखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक--13.05.2016 सहपठित—श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि रुधार विभाग का पत्र। संख्या—3-खा०म०गिति-119/85/2308/रा०, दिनांक—03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या—914/रा०, दिनांक—09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूरा खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जाच प्रारम्भ की गयी। जाच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :—

मौजा—झुम्ली, थाना—143, खाता संख्या—62, प्लॉट संख्या—96, रक्खा—5631, एकड़ की भूमि जो गैरमरूरा खास, अनावाद विहार (आरखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमावंदी उस मौजा के पंजीयन के जिल्द संख्या—....., के पृष्ठ संख्या—....., पर जमावंदी रैयत मालाल १३२ के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमावंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबर्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबर्ती के अधार पर/ अवैध लगान निधारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से रूपांतर होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमावंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संवधित जमावंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संवधित मूल दस्तावेजों/मिर्ति लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि वहों नहीं उक्त जमावंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।

अभिलेख दिनांक— को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

११८५
२५.५.१६
अंचल अधिकारी

भूमिकाएँ

उम्मेलेख सं 1039/2016-17

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
१.२।	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या—1704/रा०, दिनांक—15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमबांदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक—२२.१.२। को उपस्थापित करें।</p>	 अच्छाल १०/११ अधिकारी, निरसा।
२२.१.२।	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>नोटिस का तामिला प्राप्त। जमबांदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में केवाला दलील, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित बन्दोबस्ती पर्चा, हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद, फॉर्म—एम०, लगान—रसीद, दिनांक 01.01.1946 के पूर्व का निबंधित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित किया गया है/नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक—२२.१.२। को उपस्थापित करें।</p>	 अच्छाल १०/११ अधिकारी, निरसा।
२.२.२।	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक—1704/रा०, दिनांक—15.07.2020 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमबांदी नियमितीकरण/रद्द करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का</p>	

अभिलेख सं 1039/2016-17

मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत् भूमि मौजा-
झुम्ब, मौजा नं- 143, साबिक खाता सं- 62, साबिक
 प्लॉट सं- 96, रकवा- 56 एक्ट, जिसका हाल खाता सं-
 हाल प्लॉट सं- , रकवा- , गत सर्वे
 खतियान एवं हाल सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद (अनाबाद
 बिहार/झारखण्ड सरकार) खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा
 दिनांक-01.01.1946 के पूर्व का कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया
 गया। जमाबंदी रैयत/वंशज का उक्त भूमि पर वर्ष 1985 के पूर्व से दखलकार
 नहीं है। उक्त जमाबंदी को नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। इस संबंध में
 तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व
 में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। पुनः संबंधित राजस्व
 उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार **झुम्ब**
के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या- 167 को रद्द करने की
 अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा
 के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के
 तहत् पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या- 167 को रद्द करने हेतु अनुशंसा
 के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर
 समाहर्ता, धनबाद को भेजें।



अंचल अधिकारी,
 निरसा।